

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

कमांक : प्रशा-डी-तीन-9123/

7381-82

दिनांक : 07-09-2020

सेवा में

1. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम ।
2. वन मण्डल अधिकारी, नूह ।

विषय : Diversion of 3.55 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, P.H.Engg. Division No. 1, Nuh for laying of drinking water pipeline (DI pipeline) of size 200, 300, 600mm for supply of drinking water to various Villages Ranyala, Agon, Hasanpur Bilonda, Kolgaon & Sakras etc. under forest division and District Nuh, Haryana.


Online Proposal No. FP/HR/Water/37822/2018

संदर्भ : वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम का पत्र कमांक 1849 दिनांक 5-12-2019 ।

विषयोक्त प्रस्ताव के साथ प्राप्त सी0ए0 स्कीम ठीक नहीं है जिसको निम्न अनुसार ठीक करके भेजा जाए :-

1. इस केस में 3.55 है0 वन भूमि प्रभावित होनी है, इसलिए इसके दो गुणा अर्थात  $3.55 \times 2 = 7.10$  है0 वन भूमि पर 1000 पौधा प्रति हैक्टियर की दर से 7100 पौधे लगाए जाने हैं जबकि आपने 7816 पौधों के लिए राशि की गणना की हुई है ।
2. अतिरिक्त सी0ए0 के तहत लगाए जाने वाले 1630 पौधों की संख्या ठीक है ।
3. फौन्सिंग के लिए राशि की गणना 160000/- रुपये प्रति आर0के0एम0 के स्थान पर 200000/- रुपये प्रति आर0के0एम0 की दर की जाए । भविष्य में भी एफ0सी0ए0 से सम्बन्धित सभी केसों के तहत बनाई जाने वाली सी0ए0 स्कीम में फौन्सिंग चार्जिज 200000/- रुपये प्रति आर0के0एम0 की दर से लगाया जाए ।
4. वायलेशन के फलस्वरूप एफ0सी0ए0 के केसों में वर्तमान में पैनल सी0ए0 का प्रावधान नहीं है अपितु Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के तहत पैनल्टी इत्यादि की कार्यवाही की जानी है जिसका उल्लेख प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति में किया जाता है । इसलिए सी0ए0 स्कीम में पैनल सी0ए0 शामिल न किया जाए ।


उक्त अनुसार संशोधित सी0ए0 स्कीम व  $7100 + 1630 = 8730$  पौधों के लिए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र 2-2 प्रतियों में तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाएं व ऑनलाईन पोर्टल पर प्रोपर लिंक के तहत अपलोड भी किए जाएं ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सके ।

  
मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)  
हरियाणा, पंचकुला ।

पू0कमांक : प्रशा-डी-तीन-9123/ 7383

दिनांक : 07-09-2020

एक प्रति Executive Engineer, P.H.Engg. Division No. 1, Nuh को ई-मेल के माध्यम से सूचनाार्थ प्रेषित है ।

  
मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)  
हरियाणा, पंचकुला ।